

प्रेषक:

[वकील का नाम]

[एडवोकेट, रजिस्ट्रेशन संख्या]

[पता]

[फोन नंबर]

प्रति:

1. श्री आसिम मोहसिन,
[पता]
2. श्रीमती अर्शी,
[पता]
3. श्री [अर्शी के भाई का नाम],
[पता]
4. श्री/श्रीमती [अर्शी के माता-पिता के नाम],
[पता]

विषय: अवैध संबंध, आर्थिक शोषण, मानसिक क्रूरता एवं मेडिकल साक्ष्यों के नष्ट करने संबंधी कानूनी नोटिस

महोदय/महोदया,

मैं, श्रीमती **नीलोफ़र हो** की ओर से यह कानूनी नोटिस जारी कर रहा हूँ, जो श्री आसिम मोहसिन की विधिवत पत्नी हैं। इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा की गई विवाहेतर गतिविधियाँ, आर्थिक शोषण, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न और साक्ष्य नष्ट करने के गंभीर आरोप मेरे मुवक्किल पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

तथ्य निम्नलिखित हैं:

1. मेरी मुवक्किल नीलोफ़र हो की शादी श्री आसिम मोहसिन से [विवाह की तारीख] को हुई थी, जिनके दो बच्चे हैं।
2. इसके बावजूद श्री आसिम मोहसिन का पिछले 22 वर्षों से श्रीमती अर्शी के साथ अवैध विवाहेतर संबंध रहा है, जबकि दोनों शादीशुदा हैं।
3. वर्ष 2019 में परिवार के सामने यह बात आई, और श्री आसिम ने अपनी गलती स्वीकार कर भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया।
4. इसके बाद भी श्री आसिम और श्रीमती अर्शी के संबंध जारी रहे।
5. लॉकडाउन के समय श्री आसिम ने अर्शी के भाई को ₹25,000 नकद दिए।

6. अर्शी ने श्री आसिम को मैसेज किया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और उनसे घर खरीदवाने की मांग की।
7. अर्शी और उसके परिवार ने श्री आसिम से बार-बार आर्थिक लाभ उठाया।
8. मेरी मुवक्किल निलोफ़र का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया है, उच्च रक्तचाप और डिप्रेशन की स्थिति में हैं।
9. श्री आसिम ने जानबूझकर मेरी मुवक्किल के मेडिकल कागजात नष्ट या छिपा दिए।
10. श्री आसिम ने अर्शी के कुछ मैसेज डिलीट कर दिए जो इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है:

1. श्री आसिम मोहसिन और श्रीमती अर्शी आपसी सभी संपर्क तत्काल बंद करें।
2. किसी भी आर्थिक लेन-देन को रोकें।
3. मेरी मुवक्किल से लिखित माफी मांगें और भविष्य में ऐसा दुर्व्यवहार न करने का वचन दें।
4. नष्ट हुए मेडिकल दस्तावेजों का मुआवजा दें।
5. लॉकडाउन के दौरान लिए गए ₹25,000 की वापसी करें।

यदि 15 दिनों के भीतर इस नोटिस की अवहेलना हुई तो मेरी मुवक्किल कानूनी कार्रवाई करेगी, जिसमें शामिल हैं:

- धारा 498A (IPC) के तहत मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा,
- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई,
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य नष्ट करने का अपराध,
- दीवानी और पारिवारिक कानून के तहत मुआवजा, तलाक, रखरखाव और कस्टडी के लिए आवेदन।

यह नोटिस अंतिम चेतावनी है।

इसकी प्रति सुरक्षित रखी जाएगी।

सादर,

[वकील का नाम]

[हस्ताक्षर]

[एडवोकेट स्टाम्प]